धुरवा
जनजाति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 42 जनजाति और उनके उप जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई (31.76 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जनजातियों का हैं, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजातीय बाहुल राज्य है। आदिवासी समाज सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते है और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियां से परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृति में ऐतिहासिक जिज्ञासा के अभाव के कारण कुछ पीढ़ियों का ही यथार्थ इतिहास किंवदतियों और पौराणिक कथाओं के रूप में मिलता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियां अपनी अनूठी जीवनशैली, रीति–रिवाज और पारम्परिक मान्याताओं के लिए विश्वविख्यात है। यहां की प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट जीवनशैली, संस्कृति, नृत्य–संगीत, पोशाक एवं लोक परम्पराएं होती है। सीमित परिधि एवं लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृति में स्थिरता पायी जाती है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के ''**छायांकित अभिलेखीय श्रृंखला**'' के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **धुरवा जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वालों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

शम्मी आबिदी आई.ए.एस.
संचालक
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

डी.डी. सिंह आई.ए.एस.
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मार्गदर्शन - शम्मी आबिदी, संचालक

संकलन एवं निर्माण - डॉ. रूपेन्द्र कवि

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिचय

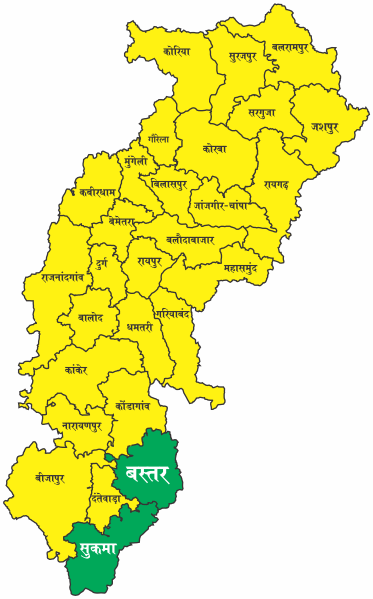

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति को अपनाये हुए निवासरत् है। बाह्य समाज इन्हें नेटिव, वनवासी, वन्य जनजाति, देशज, आदिम जनजाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है जबकि उन समुदायों का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में इन समाजों के विकास की दृष्टि से एवं राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष संक्षिपित एवं विकासीय प्रावधान किये गये। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् भारत सरकार द्वारा राज्यों के अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी किया गया।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में धुरवा जनजाति अनुक्रमांक 16 पर गोंड की उपजाति के रुप में अंकित है। धुरवा जनजाति छत्तीसगढ़ तथा भारत के उड़ीसा राज्य में निवासरत् है। धुरवा जनजाति का निवास छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर व सुकमा जिला में हैं। यह उड़ीसा राज्य में भी पाये जाते हैं। धुरवा जनजाति एक स्वतंत्र नृजातीय समुदाय है। जो कि बस्तर जिले के बकावंड, जगदलपुर व बस्तर तहसील में व सुकमा जिले के छिन्दगढ़ तहसील में विस्तारित है।

उत्पत्ति एवं इतिहास

धुरवा जनजाति की उत्त्पत्ति के विषय में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक रुप से धुरवा जनजाति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। बस्तर में धुरवा जनजाति का इतिहास लगभग 650 वर्ष पुराना है। धुरवा वारंगल से बस्तर चौदहवीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ आए थें धुरवा नाम के संबंध में अनेक मत भिन्नताएँ है। पूर्व में ये परजा कहलाते थे जबकि इनके मुखिया को धुरवा कहा जाता है। लेकिन धीरे–धीरे सभी को धुरवा के नाम से जाना गया (बेहार–1992)। एक अन्य मत के अनुसार ''धूर'' अर्थात् पूर्व काल से रहने के कारण इन्हें धुरवा कहा गया(झा–2006)। एक अन्य मत के अनुसार इन्हें धुरवा नाम बस्तर राज की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी द्वारा दिया गया (थुसू–1968)

भाषा एवं बोली

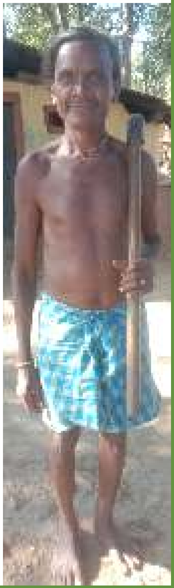

धुरवा जनजाति के सदस्य अपने विचारों या भावनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए विशिष्ट बोली का प्रयोग करते हैं,जिसे धुरवी कहा जाता है। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित है। बाजारों एवं बाह्य संपर्क के कारण यह जनजाति धुरवी के अलावा हल्बी एवं हिन्दी का भी प्रयोग करने लगे हैं।

प्रजातीय लक्षण

धुरवा जनजाति के शारीरिक लक्षणों में दीर्घशिरस्क, नाक मध्यम से चौड़ा, होंठ मध्यम से मोटा, आँख भूरी से काली, चेहरा छोटा, सकरा एवं चौड़ा मस्तक, कम विकसित, बालों का रंग भूरा से काला तथा बालों की प्रकृति लहरदार व घुंघराले

होते हैं और त्वचा का रंग गहरा भूरा से काला है। इनका कद मध्यम होता है। उपरोक्त शारीरिक लक्षण प्रोटो आस्ट्रेलायड प्रजातीय तत्व के अंतर्गत आते हैं।

भौतिक संस्कृति

धुरवा जनजाति भौतिक संस्कृति मानव के प्रकृति पर निर्भरता का श्रेष्ठ उदाहरण है। धुरवा जनजाति घने जंगल, पहाड़, नदी–नाले के क्षेत्र में निवास करते हैं। इस कारण इनकी भौतिक संस्कृति में प्रकृति का गहरा प्रभाव है। साथ ही आधुनिकता एवं बाहरी प्रभाव से अल्प प्रभावित होने के कारण इनकी भौतिक संस्कृति का मूल स्वरुप विद्यमान है। धुरवा जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है –

ग्राम

धुरवा जनजाति के ग्राम मुख्य मार्ग से दूर जंगल व पहाड़ी क्षेत्र में बसे होते हैं। ग्राम जलस्त्रोत के समीप बसा होता है। ग्राम कई मोहल्लों में बँटा होता है। ग्राम में एक मुख्य मार्ग होता है, जिसमें कई छोटी–छोटी 'कोरी डांड (गलियाँ) जुड़ती है। गली के दोनों ओर ग्राम के दक्षिण बाहरी भाग में ग्राम देवी–देवता का का मंदिर होता है।

आवास

धुरवा जनजाति के आवास के सामने आँगन व पीछे बाड़ी होता है। धुरवा जन जाति के आवास मिट्टी, लकड़ी, बाँस, बड़े आकार के चौकोर पत्थर आदि से बनते हैं इनके आवास कच्चे आवास में होते हैं। जिसमें दीवार तथा फर्श मिट्टी के तथा छत पत्थर के होते हैं। इनके आवास दो–तीन कमरों का होता है। धुरवा आवास में शयन कक्ष रसोई कक्ष एवं बरामदा होते हैं। आवास में ही भंडार गृह होते है।

घरेलु वस्तुएं

धुरवा परिवारों में दैनिक आवश्यकताओं की अनेक घरेलू वस्तुएं पाई जाती हैं। जिनमें रसाई में भोजन पकाने, जल भण्डारण तथा भोजन ग्रहण करने के लिए मिट्टी, धातु, लकड़ी एवं पत्ते से निर्मित वस्तुएं होती हैं। इसमें हण्डी, पातली, टांगा, दोना–पत्तल, डोपा, गंज, बटकी, थाली, ग्लास, लोटा होते हैं। कुटने पिसने के लिए ढेकी, जाता, मुसल, सिल–लोढ़ा, सुपा, टोकरी का उपयोग करते हैं। नापने के लिए सोली–पैली का उपयोग करते हैं।

पशुगृह

धुरवा परिवार पशुओं की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए आवास के समीप ही पशुशाला का निर्माण करते हैं।

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं श्रृंगार

धुरवा जनजाति के सदस्य व्यक्तिगत स्वच्छता पर विर्शेष ध्यान नहीं देते। दाँतों की सफाई नियमित रुप से दातौन से करते हैं। स्नान नदी—नाला, हैण्ड पम्प या कुएँ में प्रतिदिन करते हैं वर्षाकाल एवं शीत ऋतु में एक दिन के अन्तराल में स्नान करते हैं। स्नान तथा सिर धोने के लिए मिट्टी तथा शिकाकाई का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कुछ लोग साबुन का उपयोग करने लगे हैं।

शरीर को रगड़ने के लिए बाँस के रेशे (टोकरी बनाने के लिए तैयार पट्टियों से निकला रेशा) खपरैल तथा पत्थर के टुकड़े का उपयोग करते हैं। वस्त्रों की सफाई तीन–चार दिनों के अन्तराल में साबुन, वाशिंग पाऊडर से करते हैं।

धुरवा स्त्री–पुरुष श्रृंगार पर विशेष ध्यान देते हैं। पुरुष अपनी शिखा के चारों ओर के बाल को छोड़कर शेष बाल को साफ करवा देते हैं जिससे मध्य भाग का बाल लम्बा हो जाता है। इस लम्बे बाल को जुड़ा बनाते हैं। यह धुरवा पुरुषों की विशेष पहचान है।

आभूषण

धुरवा जनजाति के स्त्री–पुरुष श्रृंगार, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। परजा सदस्यों द्वारा धारित प्रमुख आभूषण हैं–खोंचा कांटा, क्लीप, चौरी, बारी, खंजा फूली, फुलगुना, डंडी, करिया माला, दीप माला, नानू, डांडा माली, दशाबरत, बांहटा, पोलका खाड़ू, कांच चूड़ी, टिकी मूंदी (सिक्का अंगूठी) मूंदी आदि।

धुरवा जनजाति में नजर व बुरे प्रभाव से सुरक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज भी बांधने का प्रचलन हैं।

गोदना

धुरवा जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। स्त्रियों द्वारा गोदना न गुदवाने पर जन्म निरर्थक माना जाता है। इस कारण स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, पुरूष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम, राम–राम या प्रतीक गोदना गुदवाते हैं। धुरवा जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। धुरवा जनजाति में मान्यता है कि गोदना मात्र एक ऐसा आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात् परलोक साथ में जाता है।

धुरवा स्त्री–पुरुष श्रृंगार तथा आभूषण के रुप में शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाते हैं। पुरुष अपने कलाईयों में नाम, चित्र या आकृति बनवाते हैं। स्त्रियाँ अपने चेहरे, बाँह, कलाई, पैरों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनवाते हैं।

धुरवा जनजाति में कन्याओं को विववाह के पूर्व 12–13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। धुरवा जनजाति में मान्यता है कि गोदना कन्या के जवान होने की पहचान है। गोदना बांह व कलाईयों तथा कोहनी की नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियों का गुदना गुदवाती हैं।

धुरवा जनजाति में कोई स्त्री प्रथम प्रसव के तुंरत बाद

पुनः गर्भवती हो जाती थी तो होने वाले बच्चे को अति मानवीय शक्तियों के प्रकोप से रक्षा करने हेतु बच्चे के माथे पर गोल गुदना गुदवाते हैं।

वेशभूषा

धुरवा पुरुष की वेशभूषा में कमर में पटका, लुंगी तथा शरीर के ऊपरी भाग में बनियान, शर्ट पहनते हैं। वर्तमान में बच्चे तथा युवक शर्ट–पेन्ट, टी–शर्ट पहनने लगे हैं। धुरवा स्त्रियाँ साड़ी को घुटनों तक पहनती है एवं पूरे शरीर में लपेटे रहती हैं। वर्तमान में धुरवा स्त्रियाॅ साड़ी, पेटी कोट, ब्लाऊज पहनने लगी है। बालिका तथा युवतियाँ फ्राक,

स्कर्ट–कमीज, सलवार सूट पहने रहते हैं। धुरवा स्त्री–पुरुषों के पास नृत्य के लिए विशेष वेश–भूषा रहता है।

जीवन संस्कार

गर्भधारण व प्रसव

धुरवा जनजाति में मासिक धर्म के रुकने पर स्त्री में गर्भधारण का निर्धारण होता है। स्त्री के गर्भधारण का ज्ञान होने पर पति सिरहा के घर चाँवल लेकर जाता है। सिरहा पूजा कर पुरुष को प्रसाद स्वरुप चावल देता है। आने वाले संतान की सुरक्षा तथा स्त्री को गर्भावस्था में कष्ट से बचाने की कामना के साथ इस चाँवल को गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है। इसके अलावा गाँव के मंदिर में परदेशीन माता और नंगूर देवी के नाम से भी पूजा करवाते है। गर्भकाल में स्त्री पर कार्य संबंधी निषेध नहीं रहता है। धुरवा जनजाति में प्रसव कार्य घर में ही ग्राम की दो स्त्रियों (पारम्परिक दाई) द्वारा करते हैं।

छठी संस्कार

लड़का होने पर नौ दिन में तथा लड़की होने पर सात दिन में छठी संस्कार किया जाता है। कई बार आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर सुविधानुसार एक वर्ष के अंदर कभी भी किया जा सकता है। छठी के पूर्व तक नवजात शिशु को बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि उनका मानना है, कि डूमा देव नाराज होकर उन्हें हानि पहुँचा सकता है। प्रसूता को दाई तथा अन्य महिला द्वारा तालाब या नाला में ले जाकर हल्दी, चावल, सिंदूर एवं 'मेल' (शराब) की पाँच बूंद टपका कर पूजा करते हैं तथा इस शराब का सेवन दाई करती है। पूजा के बाद इस हल्दी को सरसों या टोरा तेल के साथ मिलाकर माँ और बच्चे को मालिश करते हैं। इस हल्दी तेल को नवजात शिशु को छठी के दिन सभी महिलाएँ लगाती है। तत्पश्चात् प्रसूता एवं शिशु को मालिश एवं आगत से सेंकने का कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन प्रसूता को दाई के साथ बिठाकर साधारण भोजन कराया जाता है तथा इसी दिन से प्रसूता घर के सभी कार्य करती है।

ग्राम के बुजुर्गों द्वारा नवजात शिशु के पास पाँच बूंद शराब टपकाकर भी नामकरण किया जाता है। छठी के दिन परिवार, रिश्तेदारों एवं ग्रामवासियों द्वारा उपहार दिया जाता है व उन्हें भोजन कराया जाता है।

विवाह

धुरवा जनजाति में लड़के का विवाह 18—22 वर्ष की आयु में तथा लड़की का विवाह 18—20 वर्ष की आयु में किया जाता है।

विवाह में अधिमान्यता

विवाह से अधिमान्यता का तात्पर्य विवाह संबंध तय करने में कुछ विशिष्ट संबंधियों को प्राथमिकता देना है। धुरवा जनजाति में वैवाहिक संबंध हेतु ममेरे फुफेरे विवाह अधिमान्यता है।

धुरवा जन जाति में दो प्रकार का विवाह पाया जाता है—एकल विवाह व बहु पत्नि विवाह।

वधूमूल्य

धुरवा जनजाति मे वधूमूल्य का प्रचलन है। वधूमूल्य से तात्पर्य वधू प्राप्ति के पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को कुछ धन या मूल्य चुकाना पड़ता है। धुरवा इसे 'खरचा' के नाम से जानते है। इसमें मुख्य रुप से अनाज पशु—पक्षी, पेय पदार्थ, रुपये एवं वधू के माता—पिता के लिए साड़ी एवं पगड़ी दिया जाता हैं 'खरचा' (वधूमूल्य) विवाह के पूर्व दिया जाता हैं। 'खरचा' देने का मुख्य कारण यह है, कि कन्या अपने माता—पिता के परिवार के लिए आर्थिक रुप से उपयोगी होती है। इस परिवार के कन्या के 'बिहा' (विवाह) के उपरान्त इस आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ता हैं अतः इस लाभ के हर्जाना स्वरुप वर पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। यदि वर पक्ष द्वारा 'वधूमूल्य' देने में असमर्थ हो तो वर कन्या के घर में रहकर तीन से पाँच वर्ष तक अपनी सेवा देता है।

सहमति विवाह (मंगनी विवाह)

धुरवा जनजाति में माता–पिता अपने विवाह योग्य पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करते हैं। योग्य कन्या मिलने पर लड़के माता–पिता दो–तीन बोतल शराब लेकर कन्या के घर विवाह प्रस्ताव देने जाते हैं। इसके पश्चात् यदि विवाह प्रस्ताव से कन्या के माता–पिता सहमत हो तो कन्या से उसकी इच्छा पूछी जाती है। कन्या की सहमति मिलने पर साथ लाए शराब को सभी मिलकर पीते हैं। लड़की के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाने को 'माहला' कहते है। धुरवा जनजाति में पूर्व में 7–12 माहला किया जाता था, जिसे वर्तमान में 3–4 माहला में पूर्ण कर लिया जाता है।
प्रथम माहला के कुछ दिनों के पश्चात् लड़की वाले लड़के के घर मंगनी करने जाते हैं। वे अपने साथ 5–6 बोतल शराब, लाई, लंदा आदि ले जाते हैं मंगनी के बाद विवाह तय माना जाता है।

इसके कुछ दिनों पश्चात वर पक्ष के सदस्य माहला करने वधू के घर जाते हैं। इस समय वर के माता–पिता संबंधी एवं ग्रामवासी जाते हे। वे अपने साथ शराब, लांदा, चावल, लाई आदि ले जाते है। वहाँ दोनों पक्ष मिलकर विवाह को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु दोनों पक्षों से एक–एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, जिन्हें 'माहला करिया' कहा जाता है। 'गपा उड़योड़' (माहला करिया) का मुख्य कार्य विवाह के दौरान दोनों पक्षों के मध्य संवाद बनाए रखना तथा बाधाओं को दूर करना है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष के सदस्य चर्चा करते हैं और साथ लाए सामान को खाते पीते हैं।
चौथे माहला में वर पक्ष के सदस्य माहला करिया व कुछ ग्रामवासी कन्या के घर जाते हैं इस अंतिम माहला में खरचा, विवाह तिथि आदि निश्चित की जाती है।

विवाह रस्म

धुरवा जनजाति में विवाह के प्रथम दिन दोनों पक्ष में हल्दी व सेमल वृक्ष की शाखा को गाड़कर 'कोड़की' (कुदाली) रखते हैं। इसके पश्चात् शाम को स्थानीय देवी–देवता की पूजा की जाती है। दूसरे दिन वर पक्ष वाले वधू के गाँव बारात लेकर जाते हैं। उन्हें स्वागत के उपरान्त नियत स्थान पर ठहराया जाता है। इसके पश्चात् वर पक्ष के कुछ सदस्य वधू के घर जाकर वधूमूल्य चुकाते हैं। शाम को वर व बाराती वधू के घर जाते हैं, वहाँ सेमल की शाखा के समीप वधू को खड़ेकर उसका पिता '**पानी**' डालता है। इसके बाद रात को भोजन कर नृत्य करते हैं। अगले दिन वर–वधू वधू पक्ष को कुछ स्त्रियां व बाराती वापस अपने गाँव आते हैं। वहाँ सर्वप्रथम वर पर वर का पिता 'पानी' डालता है। इसके बाद दोनों को सेमल के गड़े शाखा के समीप खड़े कर पानी डालते हैं और हल्दी लगाते हैं। इसके पश्चात् वर–वधू को आमंत्रित सदस्य टीका लगाकर उपहार व आशीर्वाद देते हैं व भोजन करते हैं। रात को वधू पक्ष की स्त्रियों के लिए गीत गाए जाते हैं व नृत्य होता है। अगले दिन भोजन के पश्चात् वधू पक्ष की स्त्रियों को विदा किया जाता है।

धुरवा जनजाति में 'पलटा–पलटी बिहा' (विनिमय विवाह), 'घरजियां चुरचा विहा' (सेवा विवाह), पलायन विवाह, हरण विवाह, पैठू विवाह भी होता है।

धुरवा जनजाति में पुर्नविर्वाह का प्रचलन है। इस प्रकार के विवाह में विधुर, विधवा एवं परित्यकता का विवाह होता है। इसमें विवाहित या विधुर व्यक्ति किसी कन्या या विधवा से विवाह कर सकता है। देवर–भाभी विवाह भी पुनविर्वाह के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके तीन स्वरूप है–मंद विवाह, चुड़ी विवाह व खिलवा विवाह।

मृत्यु संस्कार

धुरवा जनजाति में मृत्यु को जीवन की अनिवार्य घटना माना जाता है। धुरवा परिवार में किसी की मृत्यु होने पर पड़ोस के व्यक्ति एकत्र होते हैं तथा वे शोक प्रकट करते हैं एवं ग्रामवासियों को तथा दूसरे ग्राम के संबंधियों को सूचना देते हैं। धुरवा जनजाति में अंतिम कर्म की दो विधियां प्रचलित है।

स्वाभाविक मृत्यु पर धुरवा जनजाति में व्यक्ति को दफनाया जाता है। मृतक को 'टाट' (बाँस की अर्थी) में पैरा के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाकर रखा जाता है तथा शव को ऊपर से सफेद कपड़े से ढाक दिया जाता है। अर्थी को परिवार तथा ग्राम के चार–चार सदस्यों द्वारा 'मोड़ा भाटा' (श्मशान) तक ले जाया जाता है। शव यात्रा में ग्राम के स्त्री–पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं, श्मशान में मृतक के वैवाहिक पक्ष के सदस्यों द्वारा गड्ढा खोदा जाता है। इस पर मृतक को

लेटाया जाता है। दफनाने के समय मृतक का सिर, पूर्व तथा पैर पश्चिम दिशा में रखा जाता है। शव पर सर्वप्रथम मृतक के परिवार के मुखिया द्वारा एक मुट्ठी मिट्टी डाला जाता है।

धुरवा जनजाति में अस्वाभाविक मृत्यु जैसे रोग, दुर्घटना, अन्य प्राणी का आक्रमण, शरीर में कीड़े लगना, जादू–टोना, पानी में डूबना आदि कारणों से मृत्यु होने पर शव को जलाया जाता है।

धुरवा जनजाति नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उसे श्मशान में दफनाया जाता है। गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर जंगल के दूरस्थ स्थान में दफनाया जाता है। उनका मानना है कि ग्राम के समीप दफनाने पर मृत महिला की आत्मा ग्राम के सदस्यों को हानि पहुँचा सकते हैं।

धुरवा जन जाति में तीन दिनों तक शोक मनाया जाता है। श्मशान से अंतिम कर्म कर सभी सदस्य तालाब या नदी में जाकर स्नान करते हैं तथा मृतक के घर जाते हैं। मृतक के द्वार पर करेले के पत्ता व चावल रखते हैं, जिसे सभी सदस्य थोड़ा–थोड़ा खाते हैं।

मृत्यु के प्रथम दो दिनों तक मृतक के घर में भोजन अन्य परिवारों द्वारा पहुँचाया जाता है। तीसरे दिन घर की साफ–सफाई कर शुद्ध किया जाता है। इस दिन से भोजन पकाया जाता है। इस दिन ग्रामवासियों एवं संबंधियों को बुलाया जाता है। मृत्यु के दसवें दिन 'दुख' मनाया जाता है। आर्थिक रुप से अक्षम परिवार द्वारा 'दुख' एक माह से एक वर्ष तक मनाया जाता है। इसमें मृतक के परिवार का मुखिया तथा अन्य व्यक्ति मोड़ा भाटा (शमशान घाट) जाते हैं तथा पूजा करते हैं।

सामाजिक जीवन

परिवार

धुरवा परिवार माता–पिता या पति–पत्नि एवं संतानों से मिलकर बना होता। परिवार में विवाह एवं रक्त संबंधी दोनों रहते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति एवं सद्‌भाव पाया जाता है।

धुरवा जनजाति के केन्द्रीय परिवार में पति–पत्नि तथा उनके अविवाहित संतान निवास करते हैं ऐसे परिवार का स्वरुप छोटा होता है। धुरवा जनजाति में सर्वाधिक केन्द्रीय परिवार है।

धुरवा संयुक्त परिवार में माता–पिता तथा उनके विवाहित संतान एवं उनके संतान निवास करते हैं, अर्थात् इस प्रकार के परिवार में तीन पीढ़ी के सदस्य पाए जाते हैं। केन्द्रीय परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार कम पाया गया है।

संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही क्षेत्र में अलग–अलग रहकर परिवार का विस्तृत परिवार का स्वरुप प्रदान करते हैं। इन परिवारों का रसोई एवं आर्थिक कार्य अलग होता है, किन्तु विभिन्न सामाजिक, धार्मिक अवसरों पर ये पारिवारिक सदस्य मिलकर मनाते हैं।

नातेदारी

धुरवा जनजाति में नातेदारी का जन्म विवाह और परिवार दोनों से ही होता है। नातेदारी का अर्थ है–संबंध। अतः नातेदारी से अभिप्राय व्यक्ति के उन संबंधों से है, जो रक्त पर आधारित हे। इसके अलावा वे सभी संबंधी आते हैं, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नातेदारी के माध्यम से मनुष्य संबंधित सदस्यों तथा अन्य सदस्यों में अंतर करते हैं।

सर्वेक्षित धुरवा परिवारों में नातेदारी के दो प्रकार पाए गए हैं।

धुरवा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदार वह है जो समान रक्त के आधार पर एक–दूसरे के संबंधी होते हैं। जैसे– माता–पिता, पिता–पुत्र, भाई–बहन आदि।

धुरवा जनजाति में विवाह संबंधी नातेदारी पाया गया है, जिसमें विवाह के माध्यम से स्त्री–पुरुष आपस में संबंधित होते हैं। इसके साथ ही दो परिवारों में संबंध निर्मित होता है। इस प्रकार विवाह बंधन से विवाह संबंधी नातेदारी निर्मित होते हैं। जैसे– सास–ससुर, देवर–देवरानी, सास–बहू, पति–पत्नि आदि।

नातेदारी व्यवहार

विभिन्न प्रकार के संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेष व्यवहारों का भी महत्व दिया जाता है। वास्तव में हम विभिन्न नातेदारो से जो संबंध स्थापित करते है उनमे कुछ का आधार श्रद्धा और सम्मान होता है। वही दूसरी ओर स्नेह एवं परिहास होता है। धुरवा जनजाति में दो प्रकार के नातेदारी व्यवहार पाए गये हैं परिहार संबंध व परिहास संबंध।

गोत्र

धुरवा गोत्र को 'बस' के नाम से जानते हैं। धुरवा जनजाति में गोत्र कई वंशो का समूह माना जाता है। गोत्र की उत्पत्ति आदि पूर्वज से मानी जाती है, जो पशु पक्षी, पेड़–पौधा, मनुष्य, नदी–पहाड़, सजीव–निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। प्रत्येक गोत्र को टोटम पाया जाता हे। जो उस गोत्र का प्रतीक होता है। गोत्र बर्हिविवाही होता है। प्रमुख गोत्र बाघ (बाघ), कच्छिम (कछुआ) और नाग (सर्प) पाए गए हैं। इस ग्राम में नाग गोत्र की वहुलता पाई गई है। इस गोत्र के दो उपगोत्र दूधनाग एवं बड़े नाग है।

टोटम एवं टोटम संबंधी निषेध

धुरवा जनजाति के प्रत्येक गोत्र का गोत्र चिन्ह अर्थात् टोटम पाया जाता है। एक गोत्र के सदस्य उस संबंधित टोटम का सम्मान करते हैं। उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त मारते व खाते भी नहीं है। यदि टोटम को किसी कारणवश मारना पड़े तो उसे सफेद कपड़े डालकर गडढे में दफना दिया जाता है।

आर्थिक जीवन

धुरवा जनजाति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। ये जीविकोपार्जन व सम्पत्ति प्राप्ति से संबंधित क्रियाएँ करते हैं। संकलन, शिकार, पशुपालन, मछली मारना, कृषि दस्तकारी, मजदूरी आदि आर्थिक क्रियायें पूरे वर्ष करते हैं। इस प्रकार धुरवा जनजाति की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा धुरवा जनजाति को बाँस कार्य में संलग्न रहने के कारण 'बास्केट्री ट्राइब' की संज्ञा भी दी जाती है।

धुरवा परिवारों की आर्थिक क्रियाओं का विवरण निम्नानुसार है –

संकलन

धुरवा जनजाति संकलन के लिए चाकू, टोकरी, गपा, सब्बल आदि का उपयोग करते हैं।

संकलन में वनों से प्राप्त पत्ते, दातौन, घास, लकड़ी, पशु–चारा आदि का संकलन करते हैं। यह कार्य स्त्री–पुरुष एवं बच्चे करते हैं।

खाद्य संकलन का कार्य मुख्यतः स्त्री–पुरुष एवं बच्चे करते हैं, किन्तु यह कार्य केवल स्त्रियों का माना जाता है। यह जनजाति 'रान'(वन) से कंदमूल, कुकुरमुत्ता, फल–फूल, शहद, विभिन्न प्रकार की भाजी, का संकलन करते हैं।

वनों से प्राप्त वनोपज में मुख्य रुप से साल बीज, महुआ फूल व फल, हर्रा, बेहड़ा, आँवला, तेन्दु, चिरौंजी, गोंद, धूप, लकड़ी, जड़ी–बूटी, कोसा, बाँस आदि का संकलन करते हैं।

धुरवा आवास गृहों के आस–पास, बाड़ी व खेत में अनेक प्रजाति के वृक्ष पाये जाते हैं।

पशुपालन

धुरवा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया के रुप में पशु पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं में मुख्य रुप से गाय, बैल, बकरा, बकरी, भैंस, सुअर आदि पालते हैं।

मत्स्यखेट

मछली मारना भी धुरवा जनजाति का सहायक आर्थिक कार्य है। धुरवा सदस्य तालाब, नाला, गड्ढों एवं खेतों से मछली पकड़ते है।यह

कार्य एकल या सामूहिक दोनों रुप से करते हैं। मछली मारने का कार्य गरी, दांदर, जाल, ढोड़ी पेलना, आदि की सहायता से करते हैं। तालाब एवं नाला से मछली मारने के लिए जाल, पेलना और गरी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दांदर का उपयोग खेतां के मेड़ में छोटी मछलियों को पकड़ने में सहायक होता है।

शिकार

धुरवा जनजाति मांस प्राप्ति के लिए पशु–पक्षियों को पालते हैं अथवा उनका शिकार करते है। धुरवा जनजाति में दोनों पद्धतियाँ पाई जाती है। शिकार युवा पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिकार परम्परागत तरीके से किया जाता है। शिकार के प्रमुख उपकरण में तीर–धनुष खरगोश जाल, भाला, गुलैल एवं चिड़ियाँ जाल आदि की सहायता से शिकार करते हैं। ये सभी उपकरण स्वनिर्मित होते हैं।

कृषि

धुरवा जनजाति कृषि परम्परागत तरीके से करते है। ये बाड़ी, खेत एवं जंगलों में भूमि चयन कर फसल लगाते हैं। कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित होता है। कृषि में कुल्हाड़ी, हल, हसिया, 'गैंती, फावड़ा एवं बाँस निर्मित टोकरी आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

धान की प्रमुख किस्म में कटक, कोटला मिंजा, गेंदो धान आदि है। इसके अतिरिक्त कोदो, कुल्थी, सरसों, तिल, कोसरा, उड़द आदि की भी कृषि की जाती है।

धुरवा जनजाति कृषि दो रुप से करते है –

(अ) खेत

यह कृषि की अवधि मई–जून से प्रारंभ कर नवम्बर–दिसम्बर तक करते हैं यह हल–बैल से की जाने वाली परम्परागत कृषि है। यह कार्य स्त्री–पुरुष दोनों करते हैं। धुरवा खेतों में खाद का उपयोग नहीं करते हैं।

फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए सल्फी वृक्ष के पत्ते को खेतों में जगह–जगह पर लगा दिया जाता है।

(ब) बाड़ी

धुरवा जनजातीय ग्राम वन एवं पर्वतीय क्षेत्र मे बसा होने के कारण धुरवा जनजाति का आवास दूर–दूर स्थित है। इन आवास के आगे या पीछे की भूमि को बाड़ी बना दिया जाता हैं। इस बाड़ी में मौसम के अनुसार सरसों, तिल, मक्का, जौ, कुल्थी, कोदो, कोसरा, मंडिया, उड़द आदि की कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त साग–सब्जियों में लगाते हैं। यह कार्य स्त्री–पुरुष करते है।

बाँस कार्य

धुरवा जनजाति बाँस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग बाँस का उपयोग गृह निर्माण से लेकर दैनिक उपयोगी वस्तुएँ तथा अन्य प्रकार से उपयोग करते हैं बाँस की वस्तुएँ हल्के, मजबूत एवं

सस्ते साथ ही साथ टिकाऊ होने के कारण जनजातिं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह कार्य स्त्री–पुरुष एवं बच्चे करते हैं।

बाँस की कटाई

धुरवा जनजाति बाँस वनों से काटकर लाते हैं। ये लोग उचित आकार एवं परिपक्व बाँस को काटते हैं। बाँस लाने का कार्य एकल या सामूहिक दैनिक अथवा साप्ताहिक में किया जाता है। वन में बाँस काटने के पश्चात् बाँस की शाखाओं को काटा जाता है तथा उसे छोटे–छोटे टुकड़ों में काट कर एक लंबे बाँस के आगे–पीछे बांधकर लाते हैं।

बाँस को तैयार करना

वन से लाए गये बाँस की वस्तुएँ बनाने के पूर्व उचित आकार में पट्टियाँ एवं सीलक (छिले हुए पतले बांस की पट्टी) तैयार कर ली जाती है, तथा इसे सुखा लेते हैं एवं बुनाई से पूर्व इसे भीगों लिया जाता है। इस कार्य में स्त्री–पुरुष एवं बच्चे सहयोगी होते हैं।

बुनाई

बाँस के वस्तुओं को अलग–अलग प्रकार व आकार के बनाए जाते हैं। वस्तुओं के आकार के अनुसार ही बाँस को तैयार किया जाता है, एवं उसकी डिजाईन तय की जाती है।

विक्रय

धुरवा जनजाति बाँस की वस्तुओं का विक्रय स्थानीय 'हाट' (बाजार) में

किया जाता है, ये बाजार साप्ताहिक होते है। बाजारों में विक्रय का कार्य स्त्री–पुरुष दोनों करते हैं।

अन्य आर्थिक साधन

उपरोक्त आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त वर्तमान में धुरवा जनजाति में अन्य आर्थिक कार्य जैसे–शासकीय व स्थानीय मजदूरी, किराना दुकान, नौकरी, सायकल दुकान, ठेकेदारी व्यवसाय, स्व सहायता समूह आदि के नए क्षेत्र हैं। इन नवीन आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरुप धुरवा जनजातीय परिवार के आय में वृद्धि हुई है व अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। ये नवीन आर्थिक क्रियायें शिक्षा, बाहरी सम्पर्क, विकासीय योजनाओं के प्रभाव स्वरुप उभर रही है।

बाजार

धुरवा साप्ताहिक बाजार में क्रय–विक्रय के लिए जाते हैं। यह धुरवा जनजाति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे 'हाट' (बाजार) के नाम से जानते हैं। इस बाजार में आस–पास के क्षेत्र में रहने वाले जनजातियाँ एवं अन्य लोग भी आते हैं। यह व्यापार और विनिमय का केन्द्र है। बाजार में विनिमय वस्तु को वस्तु से करते हैं। बाजार में मौसमी साग–सब्जियाँ, फल, चापड़ा (लाल चींटी), सुख एवं ताजा मछली, माँस, ईमली, टोरा, महुआ, चावल, बाँस के बर्तन, पेय पदार्थ में शराब, लंदा एवं सल्फी विक्रय करते हैं। इसके अलावा कपड़ा, आभूषण, बर्तन, लोहे के सामग्री एवं अन्य दुकानें भी पाई जाती है। ये समूह में पैदल अथवा साइकिल में बाजार जाते हैं।

राजनीतिक जीवन

धुरवा जनजाति का राजनैतिक संगठन ऐतिहासिक रुप से बस्तर राज–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अलग–अलग स्तर के राजनीतिक संगठन में एक प्रमुख होता है। धुरवा जनजाति में ग्राम स्तरीय जाति पंचायत होता है। यहाँ ग्राम स्तरीय पंचायत ग्राम में निवास करने वाली परिवारों के सामान्य या छोटे अपराधियों का निपटारा किया जाता है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत का प्रमुख 'पाईक' होता है तथा 'पाईक' का सहयोग पारा मुखिया करते हैं।

धुरवा जनजाति के ग्राम स्तरीय पंचायत में छोटे या सामान्य अपराधों का निपटारा किया जाता है। अपराध होने पर पीड़ित पक्ष द्वारा सर्वप्रथम पारा मुखिया को सूचना दिया जाता है। वह पाईक को सूचित करता है। पाईक तथा पारा मुखिया मिलकर अपराध के स्वरुप का निर्धारण करते हैं। यदि अपराध स्वरुप सामान्य प्रकृति का हो तो ग्राम में ही सुलझा लिया जाता है, अन्यथा परगना स्तर पर भेज दिया जाता है। अपराध की प्रकृति का निर्धारण होने के पश्चात् सुनवाई का दिन तय करते हैं। सुनवाई निर्धारित तिथि को ग्राम वासियों के समक्ष पारा मुखिया एवं पाईक द्वारा न्याय का कार्य किया जाता है। छोटे या सामान्य अपराध पर समझाईश, चेतावनी, जुर्माना आदि का प्रावधान है।

धुरवा जनजाति के गाँव प्राचीन राज–व्यवस्था के अनुरुप अनेक परगना के अंतर्गत सामान्यतः अर्थात् एक परगना से तात्पर्य ग्रामों के समूह से परगना स्तरीय धुरवा पंचायत की व्यवस्था है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत् आधुनिक पंचायत में भी धुरवा जनजाति की सक्रिय सहभागिता है।

धार्मिक जीवन

धुरवा जनजाति देवी–देवताओं में गहन आस्था रखते हैं। इसके अलावा आत्मावाद, प्रकृतिवाद एवं बहुदेववाद में विश्वास रखते हैं। ये पूर्वज, अलौकिक शक्ति, वृक्ष, वन, नदी–नाले, पहाड़, सूर्य, चन्द्रमा की पूजा करते हैं धर्म का जीवन में गहन प्रभाव पाया जाता है। इनकी धार्मिक क्रियाएँ मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है।

धुरवा का पूर्व काल से बस्तर राजा से संबंध होने के कारण बस्तर राज्य की दंतेश्वरी देवी, मावली देवी को प्रमुख देवी मानते हैं। ग्राम देवी–देवता अलग–अलग ग्रामों में अलग–अलग हैं।

धुरवा सदस्य अपने पूर्वजों को दैवीय रुप में पूजते हैं जिसे 'पितर माता' के नाम से जानते हैं। प्रत्येक धुरवा परिवार के भंडार गृह में बाँस का एक पात्र होता है। इस बॉस के पात्र में उनके पूर्वजों की आत्मा रहती है जो उनकी रक्षा तथा मार्ग दर्शन करती है। विभिन्न त्यौहार में इन पूर्वज देवता की पूजा की जाती है।

त्यौहार

धुरवा जन–जाति वर्ष के अलग–अलग माह में त्यौहार मनाए जाते हैं। इनका त्यौहार मुख्यतः फसल एवं पशुओं से संबंधित होता है।

1. अमूस त्यौहार

धुरवा जनजाति अमूस तिहार भादों माह को मनाया जाता है। इस दिन इष्ट देवी–देवताओं की पूजा किया जाता है। अमूस तिहार के दिन घर के पूजा स्थल में इष्ट देवी–देवताओं की पूजा किया जाता हे। तथा मुर्गा या मुर्गी की बलि दी जाती है।

2. धान नुवा त्यौहार

यह धान के फसल के साथ ही 'अक्टूबर–नवम्बर माह में मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सदस्य अपने अपने खेतों से धान की बाली लाकर घरों में गृहदेव तथा कुलदेव की पूजा करते हैं एवं बलि देते हैं घरों में अपने देवी–देवता की पूजा संपन्न कर परिवार के सदस्य देवगुड़ी में एकत्र होकर पूजा करते हैं और अपने–अपने घरों को लौट जाते हैं। परिवार में धान नवा के प्रसाद को घर वाले ही खाते हैं।

3. दियारी त्यौहार

दियारी त्यौहार पूस मास को मनाया

जाता है। इसमें गाय–बैल की पूजा की जाती है तथा चरवाह पशुओं को नई रस्सी बाँधता हैं। दियारी के दिन ग्रामवासी भोजन, पेज, शराब, लांदा खा–पीकर नृत्य करते है और खुशी मनाते है।

4. आमानुवा त्यौहार

यह त्यौहार मई महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिवार के मुखिया उपवास रहकर पूजा सामग्री (फूल, नारियल, धूप, अगरबत्ती, कच्चे आम, शराब) को देवी–देवता को चढ़ाकर देवी देवता की पूजा की जाती है। इसके दो दिन बाद ग्राम के पुरुषों द्वारा चंदा एकत्रित कर मंदिर में मुर्गा/मुर्गी की बलि दी जाती है महिलाएँ प्रसाद नारियल आदि ग्रहण करती हैं। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य आम की फसल का अच्छा होना है।

लोक कला एवं मनोरंजन

धुरवा जनजाति में लोक कला और मनोरंजन उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए अभिन्न अंग है। धुरवा जनजाति में नृत्य, गीत, संगीत, बाँस कला की परम्परा पायी जाती है। इन कलाओं के साथ मनोरंजन भी जुड़ा होता है।

धुरवा जनजाति में लोककला एवं मनोरंजन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

धुरवा नृत्य

धुरवा जनजाति विवाह, त्यौहार, पर्व एवं अन्य अवसरों पर नृत्य करते हैं। नृत्य के समय विशिष्ट आभूषण एवं वेशभूषा पहनते हैं। नृत्य के समय ढोल,

बाँसुरी तथा अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सीटी भी बजाते हैं। वादक नर्तक दल के पीछे–पीछे चलते रहते हैं। धुरवा स्त्री–पुरुष समूह में नृत्य करते हैं। नृत्य में पुरुष गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं तथा कुछ पुरुष इनके कन्धे में चढ़ते हैं और नृत्य करते हैं। उस समय महिलाएँ घेरे में पुरुषों के बीच से निकलती है व गीत गाती है।

गुरगाल

धुरवा समाज में प्रतिवर्ष एक नृत्य प्रधान उत्सव मनाया जाता है, जिसे गुरगाल कहते हैं। गुरगाल उत्सव रात–रात भर लगातार एक मास तक चलता रहता है। होली की रात में गुरगाल का समापन हो जाता है।

लोकगीत

धुरवा जनजाति में लोकगीत प्रचलित है। ये जन्म संस्कार में विवाह, तीज त्यौहारों तथा मनोरंजन, अंतिम संस्कार के अवसरों पर गीत गाते हैं। धुरवा खेतों और खलिहानों में वनों में तथा यात्रा करते समय गीत गाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी–कभी इच्छानुसार गीत गाते हैं ये धुरवी तथा हल्बी लोकगीत गाते हैं।

मुर्गा लड़ाई

धुरवा जनजाति में मुर्गा लड़ाई मनोरंजन का साधन है। मुर्गा लड़ाई में शामिल होने आए ग्रामवासी अपने–अपने साथ लड़वाने के लिए मुर्गे लेकर आते हैं। इन मुर्गों की कीमत 300 से लेकर 1000 रुपए तक होती है।

यहाँ अपने–अपने मुर्गे के लिए जोड़ी की तलाश करते हैं। जोड़ तलाशने का आधार मुर्गे की उम्र तथा ऊँचाई होती है। लड़ाने के लिए जोड़ी मिलने के पश्चात् दोनों पक्षों के मुर्गा मालिक

आपस में बातचीत कर मुर्गों को लड़ाने के लिए सहमत होते हैं। इसके पश्चात् दोनों पक्ष सामर्थ्यनुसार रुपये दांव पर लगाते हैं। मुर्गा मालिकों के अलावा दर्शक दीर्घा में उपस्थित ग्रामवासी भी सामर्थ्य अनुसार बाजी लगाते हैं।

मुर्गों को लड़ने के लिए मैदान में छोड़ने से पहले मुर्गे के एक पैर में तेल नुकीली चाकुनुमा हथियार 'काती' बांधा जाता है। ग्रामीण गोलाकार घेरा बनाकर मुर्गा लड़ाई देखते हैं। यदि मुर्गा अपने प्रतिद्वंद्वी मुर्गे को अपने पैर में बंधे काती से घायल कर देता है तथा उसे निशक्त कर देता है तो वह मुर्गा जीत हासिल करता है। जीतने वाले मुर्गा मालिक को रुपये के साथ–साथ हारा हुआ मुर्गा भी दे दिया जाता है।

धूम्रपान एवं मादक पदार्थ

धुरवा जनजाति के पुरुष बीड़ी तथा खाल के सुखे पत्ते में तंबाकू भरकर पीते हैं। इसके अलावा स्त्री–पुरुष एवं बच्चे तंबाकू खाते हैं। मादक पेय में छिन्द रस, सल्फी, लांदा एवं शराब का सेवन करते हैं। इनके सामाजिक, धाार्मिक एवं अन्य अवसरों पर देवी–देवता को मदिरा चढ़ाते हैं एवं मादक पेय का सेवन स्त्री–पुरुष करते हैं।

विकास एवं परिवर्तन

धुरवा जनजाति में शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार समय के साथ हो रहा है। जिससे धुरवा जनजाति के जीवन–शैली, रहन–सहन में परिर्वतन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं शौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। धुरवा जनजाति में शैक्षणिक व अधोसंरचनात्मक विकास के कारण जागरूकता व बाह्य संपर्क में वृद्धि हुई है धुरवा जनजाति का सामाजिक

संगठन समाज के शैक्षणिक–समाजिक विकास, कुरीतियों को दूर करने के लिये निरंतर सक्रिय एवं प्रयासरत है। जिससे धुरवा जनजाति प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही है।

वीर कान्तिकारी
शहीद गुण्डाधूर

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला क्रमांक -30 'धुरवा'

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Website: cgtrti.gov.in, E-mail: trti.cg@nic.in

Phone: 0771-2960530, Fax: 0771-2960531